## Order sheet [Contd]

case No: ba-164/17

Signature of Parties or Order or proceeding with signature of Presiding Officer Pleaders where necessavrv 04/05/17

02:40 pm То 02:50pm

आवेदक / अभियुक्त अविनाश उर्फ गुरूवचन द्वारा श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता उप0

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०। थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 23 / 17 अंतर्गत धारा–326, 323. 294. 506 एवं 34 भा०दं०सं० की कैफीयत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक अविनाश उर्फ गुरूवचन के पिता रामभजन द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक गुरूवचन के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 भां0दं0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सूने गए।

आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके विरूद्ध अभियोगी दशरथ सिंह ने पुलिस से मिलकर झुठा अजमानतीय अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। कथित अपराध से आवेदक का कोई संबंध, सरोकार नहीं है। आवेदक के न्यायिक निरोध में रहने से उसके जीवन पर प्रभाव पडेगा। सहआरोपी रामभजन की अग्रिम जमानत का आदेश माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीट ग्वालियर द्वारा किया जा चुका है। सहआरोपी के अपराध से आरोपी का अपराध भिन्न नहीं है, इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्ष को स्ने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 05.03.17 को रात्रि 10:30 बजे के लगभग ग्राम आलौरी के पूरा में फरियादी दशरथ जाटव सहअभियुक्त रामभजन से उधारी के 10,000 / – रूपए मांगने पर रामभजन ने उसे अश्लील गालियां दीं एवं रामभजन ने उसे पकड़ लिया, अविनाश उर्फ गुरूवचन ने उसे हंसिया मारा जो उसके होंठ में लगा, जिससे उसका दांत टूट गया, आकाश ने उसे लाठियां मारी उक्त घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की गई।

आवेदक अविनाश उर्फ गुरूवचन की ओर से सहमतिपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह तथ्य है कि आवेदक को जमानत दिए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जमानत के इस स्तर पर राजीनामे पर विचार नहीं किया जा सकता। जहां तक कि

समानता का प्रश्न है, सहअभियुक्त रामभजन की आयु 62 वर्ष की है और उसने फरियादी दशरथ को केवल पकड़ा था, जबकि आरोपी अविनाश उर्फ गुरूवचन ने दशरथ को हंसिया मारा है।

अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अविनाश उर्फ गुरूवचन का मामला रामभजन के एकदम समान नहीं है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं आवेदक अविनाश उर्फ गुरूवचन के कृत्य को देखते हुए, उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

> (मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

WILESTA PRESENT TO THE PROPERTY OF THE PROPERT